

न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर  
जिला –बालाघाट, (म.प्र.)

वि.आप.प्र.क.कमांक-62 / 2012  
संस्थित दिनांक-27.09.2012

1. श्रीमति सविता पति मुकेश मेश्राम, जाति महार, उम्र 25 वर्ष,  
निवासी पिपरटोला, थाना बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.)  
हाल मुकाम-ग्राम चनई थाना परसवाड़ा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

2. काशांक कुमार पिता मुकेश मेश्राम, जाति महार, उम्र 04 माह,  
नाबालिक वली मां श्रीमति सविता मेश्राम,  
निवासी पिपरटोला, थाना बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.)  
हाल मुकाम-ग्राम चनई थाना परसवाड़ा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

----- आवेदकगण

// विरुद्ध //

मुकेश मेश्राम पिता रामा मेश्राम, जाति महार, उम्र 26 वर्ष,  
निवासी पिपरटोला, थाना बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

----- अनावेदक

// आदेश //

(आज दिनांक-28.07.2014 को पारित)

1- इस आदेश द्वारा आवेदिकागण द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा-125 दण्ड प्रक्रिया संहिता वास्ते भरण-पोषण राशि का निराकरण किया जा रहा है।

2- प्रकरण में यह महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य है कि आवेदिका क्रमांक-1 व अनावेदक आपस में पति-पत्नि है, जिनका विवाह 15 अप्रैल 2010 को विधिवत् सम्पन्न हुआ था तथा विवाह के पश्चात् आवेदिका क्रमांक-1 व अनावेदक पति-पत्नि की हैसियत से ग्राम पिपरटोला में निवास करने लगे और दोनों के संसर्ग से आवेदक क्रमांक-2 पुत्र काशांक उत्पन्न हुआ था।

3- आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन संक्षेप में यह है कि विवाह के 7-8 माह पश्चात् अनावेदक और उसकी मां द्वारा आवेदिका क्रमांक-1 को दहेज की मांग को लेकर मारपीट कर प्रताड़ित करने लगे। माह सितम्बर 2011 को अनावेदक एवं उसकी मां द्वारा आवेदिका क्रमांक-1 को मारपीट कर अत्यधिक प्रताड़ित किये जाने लगा तथा कहा जाने लगा कि तुम घर छोड़ कर चली जाओ, अनावेदक का दूसरा विवाह करेंगे ,

नहीं जाओंगी तो तुम्हे जान से खत्म देंगे की धमकी दी जाने लगी, जिस पर आवेदिका क्रमांक-1 के द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट थाना बिरसा में की गई तथा तब से अपने मायके ग्राम चनई में निवास किया जा रहा है। आवेदिका स्वयं का तथा अपने पुत्र का भरण-पोषण करने में असमर्थ है तथा अनावेदक ने उसके भरण-पोषण की कोई व्यवस्था नहीं की। अनावेदक साधन सम्पन्न वाला व्यक्ति है। आवेदिकागण को 5,000/-रूपये प्रतिमाह भरण-पोषण राशि अनावेदक से दिलाया जावे।

4- अनावेदक ने उक्त आवेदन के जवाब में स्वीकृत तथ्य को छोड़कर आवेदन के सम्पूर्ण अभिवचन से इंकार करते हुये व्यक्त किया है कि अनावेदक तथा उसकी मां के द्वारा आवेदिका को दहेज की मांग को लेकर कभी भी मारपीट कर प्रताड़ित नहीं किया गया है। आवेदिका द्वारा अनावेदक को अपने मायके में चलकर रहने के लिए परेशान किया जाता था तथा वह कई बार स्वयं अपने मायके भाग कर चली जाया करती थी। जब अनावेदक, आवेदिका के मायके ग्राम चनई जाकर रहने लगा तो आवेदिका द्वारा उससे लड़ाई-झगडा करके भगा दिया गया तथा वह वहीं रहने लगी। आवेदिका द्वारा स्वयं अनावेदक का परित्याग करके अपने मायके में निवास किया जा रहा है। अनावेदक द्वारा आवेदिका को दो-तीन बार लाने का प्रयास किया गया, परन्तु आवेदिका उसके साथ नहीं आयी, जिस पर अनावेदक द्वारा थाना बिरसा में रिपोर्ट की गई। अनावेदक गरीब मजदूर व्यक्ति है उसके पास भरण-पोषण का कोई साधन नहीं है वह अपना तथा अपनी मां का मजदूरी कर भोषण कर जीवन यापन किया जा रहा है। आवेदिका के मायके वाले धनाढ्य व्यक्ति है तथा उनके पास खेती तथा आय के अन्य स्रोत है, जिस कारण आवेदिका अपने मायके में निवास करना चाहती है। आवेदिका द्वारा स्वयं अपनी इच्छा से अनावेदक का परित्याग कर अनावेदक के साथ न रहते हुए मायके में निवासरत् है। अतएव आवेदिकागण का आवेदन पत्र सव्यय निरस्त किया जावे।

5- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि :-

1. क्या आवेदिका क्रमांक-1 पर्याप्त कारणों से अनावेदक से पृथक रह रही है ?
2. क्या अनावेदक पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति होकर आवेदिकागण के भरण-पोषण में उपेक्षा बरत रहा है ?
3. क्या आवेदिकागण, अनावेदक से प्रतिमाह भरण-पोषण राशि प्राप्त करने के हकदार है ?

विचारणीय बिन्दु कं.-1 से 3 पर एक साथ सकारण निष्कर्ष :-

6- आवेदिका सविता (आ.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में उसके अभिवचन के अनुरूप कथन किया है कि अनावेदक उसका पति है, उसका विवाह वर्ष 2010 में

जाति-रीति रिवाज से सम्पन्न हुआ तथा उनके संसर्ग से एक पुत्र आवेदक कमांक-2 काशांक का जन्म हुआ था। विवाह के 7-8 माह पश्चात् अनावेदक एवं उसके माता-पिता के द्वारा उसे शराब पीकर मारपीट किया जाता था तथा माता-पिता के यहां से दहेज लाने के लिए परेशान किया जाता था और अनावेदक की दूसरी शादी करने की भी धमकी दी जाती थी। अनावेदक एवं ससुराल वालों के द्वारा परेशान किया जाता था तथा उसे जादू-टोना करके मारने की धमकी दी जाती थी। उसके द्वारा थाना बिरसा में उक्त के संबंध में रिपोर्ट लेख करायी गई थी, उस समय वह अपने ससुराल में ही रहती थी। अनावेदक द्वारा शादी के पश्चात् से ही उसकी दैनिक आवश्यकताओं को कभी पूरा नहीं किया गया और नही उसके बच्चे के उपर भी कभी कोई पैसा खर्च किया गया। उसके ससुराल में रहने के दौरान उसके माता-पिता ने आकर उसका स्वास्थ्य खराब होने पर उसका ईलाज कराया था। पुलिस ने उसकी रिपोर्ट पर ससुराल आकर पूछताछ की और उसे उसके मायके ग्राम चनई में लाकर छोड़ दिया। वह वर्तमान में लगभग ढेढ़ वर्ष से अपने माता-पिता के सहारे मायके में अलग घर में रह रही है। वह इधर-उधर से पैसा मांग कर तथा उसके माता-पिता के द्वारा पूरा करने पर अपना भरण-पोषण करती है। उसके माता-पिता मजदूरी करते हैं। उसे अनावेदक ने आज तक भरण-पोषण व खर्चा हेतु कोई राशि नहीं दी गई है। वह अपना तथा अपने बच्चे का भरण-पोषण करने में असमर्थ है। अनावेदक मिस्त्री का कार्य करता है तथा 250/-रुपये प्रतिदिन कमाता है। अनावेदक के घर कृषि कार्य भी होता है, जिसमें धान उगाया जाता है, जिससे लगभग 30-35 क्विंटल धान प्रतिवर्ष होता है। अनावेदक शराब का भी धंधा करता है जिससे वह 600-700 रुपये प्रतिदिन कमाता है। उसे एवं उसके पुत्र को भरण-पोषण हेतु लगभग 5000/-रुपये की प्रतिमाह आवश्यकता है।

7- उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में अनावेदक की ओर से उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। साक्षी ने अपने अभिवचन के अनुरूप कथन किये हैं तथा प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन न होने से उसकी साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता।

8- आवेदिका की ओर से प्रस्तुत साक्षी गणेशी मेरावी (आ.सा.2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आवेदकगण एवं अनावेदक को जानता है। अनावेदक, आवेदिका कमांक-1 का पति है, उनका विवाह सन् 2010 में हुआ था। विवाह पश्चात् लगभग 6 माह बाद आवेदिका के ससुराल वाले परेशान करने लगे, जिसकी रिपोर्ट आवेदिका द्वारा थाना बिरसा में की गई थी उसके बाद आवेदिका अपने मायके ग्राम चनई में निवास करने लगी। वर्तमान समय में आवेदिका अपने पुत्र के साथ मायके में रह रही है तथा अनावेदक उसकी कोई खोज खबर नहीं ले रहा है।

आवेदिकागण को भरण-पोषण हेतु लगभग 5000/-रूपये लगता है। अनावेदक मिस्त्री का काम तथा खेती-बाड़ी का काम करता है, जो आवेदकगण देने में सक्षम है। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में अनावेदक की ओर से अनावश्यक रूप से लम्बा एवं भीषण प्रतिपरीक्षण किया गया है, किन्तु महत्वपूर्ण तथ्यों के संबंध में साक्षी के कथन अखण्डित रहे हैं। यद्यपि साक्षी ने उसके सामने आवेदिका एवं अनावेदक के बीच कोई विवाद न होने और आवेदिका का मजदूरी करने जाने के तथ्यों को स्वीकार किया गया है।

9— अनावेदक मुकेश मेश्राम (आ.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में उसके अभिवचन के अनुरूप कथन किया है कि आवेदिका उसकी पत्नि है। आवेदिका से उसका विवाह दिनांक-15 अप्रैल 2010 को हुआ था। शादी के कुछ दिनों तक आवेदिका ठीक से रही उसके बाद अपने मायके जाने के लिए जिद करने लगी। आवेदिका दो-तीन बार अपने मायके बिना बताये चली गई। उसने दो-तीन बार उसे लेकर आया। उसके बाद उसकी पत्नि जिद करने लगी की मायके जायेंगे और वहीं रहेंगे, उसके जिद करने पर वह उसके साथ तीन माह ग्राम चनई में जाकर रहा, उसके पश्चात् आवेदिका तथा उसके माता-पिता ने लड़ाई-झगड़ा करके भगा दिये, उनके भगा दिये जाने से वह अपने घर ग्राम पिपरटोला आ गया। वह पुनः आवेदिका को लेने के लिए गया तो वह उसके साथ नहीं आयी, उसके पश्चात् वह गांव के लोगों को लेकर गया और बैठक करवाया तो पंचायत के सामने आवेदिका ने आने से मना कर दी और उसके माता-पिता ने भेजने से मना कर दिये। उसके पश्चात् उसने थाना बिरसा में रिपोर्ट किया तथा परामर्श केन्द्र परसवाड़ा में आवेदन दिया था, परामर्श केन्द्र में दिये गये आवेदन पत्र की कार्बन प्रति प्रदर्श डी-1 है तथा परामर्श केन्द्र द्वारा जो नोटिस जारी किया गया था उसकी कार्बन प्रति प्रदर्श डी-2 है। परामर्श केन्द्र में भी आवेदिका आने के लिए तैयार नहीं हुई, तब से वह अपने मायके में ही अपनी मर्जी से उसे छोड़कर रह रही है। वह बनी मजदूरी करता है उसे कभी-कभार ही मजदूरी का काम मिलता है। मजदूरी का काम मिल जाने पर वह कभी-कभी 1000/-रूपये महिने में कमा लेता है। वह, आवेदिका द्वारा मांगी गई भरण-पोषण राशि को देने में सक्षम नहीं है। आवेदिका अपने मायके में रह रही है, जिसका भरण-पोषण उसके माता-पिता करते हैं तथा आवेदिका सिलाई का काम भी करती है, जिससे आय अर्जित कर अपना भरण-पोषण करती है। आवेदिका अपनी मर्जी से अपने मायके में रह रही है। उसके द्वारा आवेदिका को कोई मारपीट कर घर से नहीं निकाला गया है। यदि आवेदिका उसके साथ रहने के लिए आती है तो वह रखने के लिए तैयार है।

10— साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आवेदिका ने थाना बिरसा में उसके विरुद्ध रिपोर्ट की थी और जिसके पश्चात् आवेदिका क्रमांक-1 ग्राम चनई में रह रही है। उसका पुत्र काशांक ग्राम चनई में ही उत्पन्न हुआ और उसने



डिलेवरी के समय देखरेख व खर्च नहीं किया। अनावेदक ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि वह खेती-किसानी का कार्य करता है और आवेदकगण के भरण-पोषण की जिम्मेदारी उसी पर है।

11— अनावेदक साक्षी सालिकराम डोंगरे (आ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आवेदिका तथा अनावेदक को जानता है। जब आवेदिका अपने मायके चली गई थी तब वह, अनावेदक के साथ आवेदिका के मायके ग्राम चनई लाने के लिए गया था। आवेदिका के कहने अनावेदक को उसके मायके ग्राम चनई भेज दिये थे। जहां अनावेदक लगभग 4 माह तक रहा। अनावेदक को झगड़ा करके भगा दिये थे, जिस कारण वह अपने ग्राम पिपरटोला वापस आ गया। अनावेदक से पूछताछ करने पर पुनः वह ग्राम चनई रमेश, अशोक व अन्य लोगों के साथ गया था, तब लडकी ने स्पष्ट रूप से आने से मना कर दी। अनावेदक परामर्श केन्द्र परसवाड़ा में गया था जहां आवेदिका, अनावेदक के साथ आने के लिए तैयार नहीं थी, तब से आवेदिका अपने माता-पिता के साथ अपनी मर्जी से अपने ग्राम चनई में रह रही है। अनावेदक गांव में मजदूरी का काम करता है। अनावेदक मात्र अपने पेट के लायक कमा लेता है। अनावेदक के पास कोई भूमि नहीं है। मजदूरी करके ही वह अपना पालन-पोषण करता है। उसने आज तक कभी अनावेदक के द्वारा आवेदिका को मारते-पीटते नहीं देखा और न ही सुना। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसके नहीं रहने पर उभयपक्ष के मध्य विवाद हुआ हो तो उसे जानकारी नहीं है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि आवेदकगण के भरण-पोषण की व्यवस्था अनावेदक नहीं कर रहा है।

12— आवेदिका सविता (आ.सा.1) एवं गणेशी (आ.सा.2) की साक्ष्य अखण्डित रही है तथा उनके कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है, जबकि अनावेदक मुकेश (अना.सा.1) व उसकी ओर से प्रस्तुत साक्षी सालिकराम (अना.सा.2) की साक्ष्य इस संबंध में विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है कि आवेदिका बिना कारण के अपनी मर्जी से मायके में निवास कर रही है। प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य से यह तथ्य प्रकट होता है कि आवेदिका को अनावेदक के द्वारा शराब पीकर मारपीट करने, दहेज की मांग करने व दूसरी शादी की धमकी देने से आवेदिका ने परेशान होकर अनावेदक के विरुद्ध पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखायी। आवेदिका क्रमांक-1 मजबूरन अपने मायके में पुत्र आवेदक क्रमांक-2 के साथ निवासरत् है और मायके में रहने के दौरान आवेदकगण का अनावेदक ने भरण-पोषण की व्यवस्था नहीं। इस प्रकार आवेदिका क्रमांक-1 का अनावेदक से पृथक निवास करने का पर्याप्त कारण प्रकट होता है।

13— प्रकरण में प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि अनावेदक मजदूरी करके जीवन यापन करता है। अनावेदक हष्ट-पुष्ट व्यक्ति होकर आय अर्जित

करने में सक्षम होना प्रकट होता है। आवेदिका की ओर से अनावेदक के पास कृषि भूमि होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई है। यद्यपि अनावेदक स्वयं मजदूरी कर अपना एवं आवेदकगण का भरण-पोषण करने में सक्षम व्यक्ति है। अनावेदक पर आवेदकगण के अलावा अन्य किसी के भरण-पोषण करने की जिम्मेदारी होना प्रकट नहीं होता है। अनावेदक के द्वारा निश्चित आय अर्जित करने के साधन के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, किन्तु उभयपक्ष की मौखिक साक्ष्य से अनावेदक के द्वारा मजदूरी कर 4,000/-रूपये प्रतिमाह आय अर्जन करने की उपधारणा की जा सकती है। जहाँ तक आवेदिका क्रमांक-1 के द्वारा स्वयं मजदूरी कर आय अर्जन करने का प्रश्न है इस संबंध में यदि मान भी लिया जाये कि आवेदिका मजदूरी कर आय अर्जित करती है तब भी अनावेदक का आवेदकगण के भरण-पोषण करने का विधिक दायित्व है, जिससे वह बच नहीं सकता।

14— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य के विश्लेषण उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि आवेदिका पर्याप्त कारणों से अनावेदक से पृथक् रह रही है तथा अनावेदक पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति होकर आवेदिका के भरण-पोषण में उपेक्षा बरत रहा है। इस कारण आवेदकगण, अनावेदक से प्रतिमाह भरण-पोषण राशि प्राप्त करने के हकदार है। आवेदकगण को अनावेदक की पत्नी एवं संतान के रूप में ऐसा जीवन स्तर के निर्वहन का अधिकार है, जो कि न तो विलासिता पूर्ण हो और न ही अभाव ग्रस्त बल्कि वे अनावेदक के सामाजिक स्तर व चरित्र के अनुसार सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें।

15— प्रकरण में आवेदकगण को अंतरिम भरण-पोषण राशि अदा करने के संबंध में आदेश पारित नहीं किया गया है तथा आवेदकगण की ओर से प्रकरण में जानबूझकर विलम्ब कारित नहीं किया गया है। अतएव उपरोक्त सम्पूर्ण कारणों से आवेदकगण का आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाकर पक्षकारगण के सामाजिक व जीवन यापन स्तर तथा वर्तमान परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अनावेदक को आदेशित किया जाता है कि भरण-पोषण के रूप में आवेदिका क्रमांक-1 को राशि 800/- (आठ सौ रुपये) तथा आवेदक क्रमांक-2 को राशि 700/- (सात सौ रुपये) प्रतिमाह आवेदन प्रस्तुति दिनांक से अदा करे।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर पारित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला—बालाघाट